



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १२, अंक ११]

शुक्रवार, मार्च १३, २०२६/फाल्गुन २२, शके १९४७

[पृष्ठ १२, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १७

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक १३ मार्च, २०२६ ई. को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक
महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशित किया जाता है :-

L. A. BILL No. XX OF 2026.

A BILL

TO PROVIDE FOR PROTECTION OF RIGHT TO FREEDOM OF
RELIGION AND PROHIBITION OF UNLAWFUL CONVERSION FROM
ONE RELIGION TO ANOTHER RELIGION AND FOR THE MATTERS
CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक २० सन् २०२६।

धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण और एक धर्म से अन्य धर्म में अविधिपूर्ण धर्मांतरण
का प्रतिषेध करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने
संबंधि विधेयक ।

क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता के संरक्षण और एक धर्म से अन्य धर्म में अविधिपूर्ण धर्मांतरण का प्रतिषेध
करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने के लिए, एक विधि अधिनियमित
करना इष्टकर है; अतः, भारत गणराज्य के सतहत्तरवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया
जाता है:—

अध्याय - एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, २०२६ कहलाए।
(२) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

२. (१) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
- (क) “प्रलोभन” का तात्पर्य, किसी प्रकार के प्रलोभन की पेशकश से है, जो निम्न रूप में हो,—
(एक) कोई भी उपहार, परितोषण, आसान धन या भौतिक लाभ, नक़द या वस्तु के रूप में हो; या
(दो) रोजगार; या
(तीन) किसी धार्मिक निकाय या संस्था द्वारा चलाए जानेवाले विद्यालय या महाविद्यालय में निःशुल्क शिक्षा; या
(चार) शादी करने का वचन देना; या
(पाँच) बेहतर जीवन शैली, ईश्वरीय उपचार; या
(छह) किसी धर्म की प्रथाओं, अनुष्ठानों और समारोहों या किसी अभिन्न अंग को दुसरे धर्म के प्रति हानिकारक रीति से प्रस्तुत करना; या
(सात) एक धर्म का दुसरे धर्म के विरुद्ध महिमा मंडन करना;
- (ख) “बलपूर्वकता” का तात्पर्य, किसी व्यक्ति, परिवार या, समूह को उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए मजबूर करना। इसमें मनोवैज्ञानिक दबाव या शारीरिक बल का उपयोग शामिल है, जिससे शारीरिक चोट पहुँचती हो या उसकी धमकी दी गई हो। इसमें ईश्वरीय नाराजगी का डर दिखाना, सामाजिक बहिष्कार या संबंधित व्यक्तियों के जीवन, अंग और सम्पत्ति के संबंध में गंभीर परिणामों की धमकी देना भी, शामिल है;
- (ग) “सक्षम प्राधिकारी” का तात्पर्य, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी;
- (घ) “धर्मांतरण” का तात्पर्य अपने स्वयं के धर्म का त्याग करना और दुसरे धर्म को अपनाना;
- (ङ) “छल” का तात्पर्य, बेईमानीपूर्ण आचरण द्वारा, किसी को ऐसी बात पर विश्वास दिलाने की कोशिश करना जो सत्य नहीं है;
- (च) “बल” जिसमें अपराधिक बल का उपयोग या परिवर्तित होनेवाले व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति या सम्पत्ति को जो परिवर्तित होना चाहता है किसी प्रकार का बल प्रदर्शन या चोट पहुँचाने की धमकी शामिल है;
- (छ) “कपटपूर्ण” का तात्पर्य गलत नाम, मिथ्या उपनाम, धार्मिक प्रतिक, धोखाधड़ी की युक्ति या अन्यथा व्यक्तिगत रूप से या मिलीभगत से कार्य करके किसी भी प्रकार के कपटपूर्ण आचरण करना, से है;
- (ज) “संस्था” जिसमें सभी कानूनी ईकाई (चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या अरजिस्ट्रीकृत) शैक्षणिक संस्थाएं, धार्मिक, सामाजिक या पूर्त संघटनों, अनाथालय, वृद्धाश्रम, अस्पतालों, व्यक्तियों के सहयोजन, गैर-सरकारी संघटनों और ऐसे अन्य संगठन शामिल हैं;

(झ) “समूह धर्मांतरण” का तात्पर्य, एक समय पर दो या अधिक व्यक्तियों के एक धर्म से अन्य धर्म में धर्मांतरण करने, से है;

(ञ) “नाबालिक” का तात्पर्य, अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति से है ;

(ट) “विहित” का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित से है ;

(ठ) “ धर्म” जिसमें भारत या उसके किसी भाग में प्रचलित कोईभी संगठित पूजा प्रणाली, पूजा पद्धति, आस्था, विश्वास, उपासना या जीवनशैली शामिल है, और जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या रीति-रिवाज के अधीन पारिभाषित हो ;

(ड) “ धर्म परिवर्तनकर्ता ” का तात्पर्य किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति या संस्था से है जो एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण का कोई कार्य करता है ;

(ढ) “ अनुचित प्रभाव ” जिसमें व्यक्तियों के बीच ऐसे संबंध शामिल हैं जिनमें धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति दूसरे की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में होता है और उस स्थिति का उपयोग दूसरे व्यक्ति का एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन करने के लिए करता है ;

(ण) “ गैरकानूनी धर्मांतरण ” का तात्पर्य, किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में प्रलोभन, दबाव, छल, बल , कपट गलत ढंग से प्रस्तुत करने, धमकी, अनुचित प्रभाव या कोई धोकाधड़ी के साधनों या शिक्षा के माध्यम द्वारा जबरदस्ती मत परिवर्तन द्वारा या किन्ही अन्य ऐसे साधनों द्वारा किया गया धर्मांतरण, से है।

अध्याय दो

अविधिपूर्ण धर्म परिवर्तन का प्रतिषेध

३. (१) कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के साथ, मिलीभगत करके, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अन्य व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण करने का प्रयास नहीं करेगा, न ही इसमें सहायता करेगा, न ही उकसाएगा, न ही मिलीभगत करेगा या षडयंत्र रचेगा,—

अविधिपूर्ण धर्मपरिवर्तन का प्रतिषेध।

(एक) प्रलोभन,

(दो) जबरदस्ती,

(तीन) छल,

(चार) बल,

(पाँच) गलत बयानी,

(छह) धमकी,

(सात) अनुचित प्रभाव, या

(आठ) किसी भी कपटपूर्ण साधन; या

(ख) उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित के कारण विवाह के स्वरूप के संबंध का संपन्न होना या विवाह के वचन द्वारा विवाह का संपन्न होना ।

(२) उप-धारा (१) के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया कोई भी धर्मांतरण इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध होगा ।

(३) उप-धारा (१) के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया कोई भी धर्मपरिवर्तन अमान्य होगा ।

अविधिपूर्ण
धर्मपरिवर्तन के
एकमात्र प्रयोजन से
किया गया विवाह
अमान्य होगा ।

४. अविधिपूर्ण धर्मांतरण के एकमात्र प्रयोजन से संपन्न कोई भी विवाह, विवाह के किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के विरुद्ध प्रस्तुत याचिका पर न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जाएगा ।

बच्चे के अधिकार । बच्चे का,—
५. (१) अविधिपूर्ण धर्मांतर के कारण किए गए विवाह या विवाह के स्वरूप संबंध से जन्मे किसी

(क) विवाह के स्वरूप में ऐसे विवाह या संबंध के पूर्व माता के धर्म का माना जाएगा,

(ख) माता-पिता की संपत्ति में माता-पिता पर लागू प्रचलित उत्तराधिकार कानूनों के अनुसार उत्तराधिकार अधिकार प्राप्त करना ; और

सन् २०२३ का ४६ । के लिए हकदार होगा ।
(ग) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ की धारा १४४ के उपबंधों के अनुसार भरण-पोषण

(२) बच्चे की अभिरक्षा, बच्चे की माँ के पास रहेगी, जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्णय न दे।

अध्याय तीन

विधिसम्मत धर्मांतरण की प्रक्रिया

धर्मांतरण के आशय की घोषणा ।
६. (१) कोई भी व्यक्ति, जो एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तीत होना चाहता है, और कोई भी व्यक्ति या संस्था जो धर्मांतरण समारोह आयोजित करना चाहती है, जहाँ ऐसा धर्म परिवर्तन आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, के सक्षम प्राधिकारी को उसे प्रस्तावित धर्मांतरण से साठ दिन पहले, ऐसे प्ररूप में ऐसी रीत्या, सूचना देनी होगी, जैसा कि विहीत किया जाए ।

(२) सक्षम प्राधिकारी उप-धारा (१) के अधीन नोटीस प्राप्त होने के बाद, सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तथा ग्राम पंचायत के कार्यालय में या उस स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय में जहाँ व्यक्ति या व्यक्तियों का निवास है, धर्मांतरण के संबंध में नोटिस जारी करने की अवधि के तीस दिनों के भीतर आक्षेप दर्ज करने के लिए अधिसूचित करेगा ।

(३) यदि कोई आक्षेप प्राप्त होता है या अन्यथा, सक्षम प्राधिकारी, आशय, प्रयोजन या कारण को ध्यान में रखते हुए, पुलिस के ज़रिए जाँच कर सकेगा ।

(४) यदि सक्षम प्राधिकारी उक्त जांच के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि धर्मांतरण अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में है, तो वह संबंधित पुलिस अधिकारियों को अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देगा ।

(५) यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है कि परिवर्तन इस अधिनियम के उपबंधों के विपरीत या व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध नहीं है, तो वह ऐसे धर्म परिवर्तन की अनुमति देगा ।

धर्म परिवर्तन पश्चात् घोषणा ।
७. (१) धर्म परिवर्तीत व्यक्ति और वह व्यक्ति या संस्था जिसने धर्म परिवर्तन का आयोजन किया है, के दिनांक से इक्कीस दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीत्या जैसा कि विहीत किया जाए घोषणा, प्रस्तुत करेंगे ।

(२) घोषणा में आवश्यक विवरण शामिल होंगे, अर्थात् धर्मांतरित व्यक्ति की विशेषताएँ जैसे कि नाम, आयु, स्थायी पता, वर्तमान निवास स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, पति/पत्नी का नाम, वह धर्म जिससे धर्मांतरित

व्यक्ति मूल रूप से संबंधित था और वह धर्म जिसमें उसने धर्मांतरण किया है, धर्मांतरण का दिनांक और स्थान, धर्मांतरण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का स्वरूप आदि ।

(३) सक्षम प्राधिकारी, ऐसे व्यक्ति या संस्था द्वारा की गई घोषणा के तथ्य को रिकॉर्ड करेगा ।

(४) यदि व्यक्ति या संस्था उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट ऐसे धर्मांतरण की घोषणा प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो ऐसा धर्म परिवर्तन अमान्य होगा ।

अध्याय चार अपराध और शास्ति

८. (१) धर्मांतरित व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के माता-पिता, भाई, बहन या कोई अन्य व्यक्ति जो शिकायत दर्ज निकटसंबंधी, विवाह या दत्तक ग्रहण द्वारा ऐसे व्यक्ति से संबंधित हो, पुलिस को अविधिपूर्ण धर्मांतरण की करने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। सक्षम व्यक्ति।

(२) पुलिस स्टेशन के प्रभारी पुलिस अधिकारी के लिए उप-धारा (१) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत को दर्ज करना अनिवार्य होगा।

(३) यदि पुलिस अधिकारी संतुष्ट है कि, धर्मांतरण अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया है या किया जा रहा है, तो वह ऐसे उल्लंघन का **स्वप्रेरणा से** संज्ञान लेगा।

९. (१) जो कोई, धारा ३ के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, उसे सात वर्ष के कारावास से दंडित अपराध और किया जाएगा और एक लाख रुपयों के जुर्माने के लिए भी दायी होगा। शास्ति ।

(२) जो कोई भी, नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति या महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के संबंध में धारा ३ के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उसे सात वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा और पाँच लाख रुपये के जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

(३) जो कोई भी, सामूहिक धर्मांतरण के संबंध में धारा ३ के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, उसे सात वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा और पाँच लाख रुपये के जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

(४) जो कोई, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही दोषी ठहराया जा चुका हो और फिर से कोई अपराध करता हो, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी भी व्यक्ति या संस्था को सात वर्ष के कारावास से दण्डित किया जाएगा और सात लाख रुपये के जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

१०. (१) यदि कोई संस्था या संगठन इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो ऐसा संस्था के लिए करने के लिए प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे संगठन या संस्था का रजिस्ट्रीकरण दण्ड। रद्द किया जा सकेगा और संगठनों या, यथास्थिति, संस्थाओं के कामकाज का प्रभारी व्यक्ति या व्यक्तियों को सात वर्ष के कारावास से दण्डित किया जाएगा और पाँच लाख रुपये का जुर्माने के लिए भी दायी होंगे।

(२) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला ऐसा संगठन या संस्था को कोई वित्तीय सहायता या अनुदान प्रदान नहीं करेगी।

११. यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया जाता है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक को अपराध करने वाले अपराध करने में भागीदार माना जाएगा और वह अपराध का दोषी समझा जायेगा तथा उस पर इस प्रकार पक्ष आरोप लगाया जाएगा मानों उसने वास्तव में उक्त अपराध किया हो, अर्थात्,—

(एक) प्रत्येक व्यक्ति जो वास्तव में अपराध गठित करने वाला कार्य करता है ;

(दो) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को अपराध करने में सक्षम बनाने या सहायता करने के उद्देश्य से कोई कार्य करता है या करने में चूक करता है ;

(तीन) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को अपराध करने में सहायता करता है या उकसाता है ;

(चार) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को करने के लिए सलाह देता है, समझा देता है या दलाली करता है ।

अविधिपूर्ण धर्मांतरण दस्तावेजों का समर्थन करने वाला व्यक्ति। १२. कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किये गए धर्म परिवर्तन से संबंधित किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है, उसका समर्थन करता है या उसे प्रमाणित करता है, उसे उकसाने और सहायता करने का दोषी माना जाएगा और वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडित होने के लिए दायी होगा।

सबूत का भार। १३. यह साबित करने का भार कि, क्या कोई धार्मिक धर्मांतरण इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में नहीं किया गया था, उस व्यक्ति पर है, जिसने ऐसा धर्मांतरण कराया या में सहायक है और उस सहायक जिसने ऐसे धर्मांतरण में सहायता की।

जाँच करने की शक्ति। १४. इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध की जांच पुलिस उप-निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा की जाएगी।

अपराध संज्ञेय गैर जमानती होंगे। १५. (१) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किया गया प्रत्येक अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होगा। सन् २०२३ का ४६।

(२) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध सत्र न्यायालय में विचारणीय होंगे।

अध्याय पाँच

विविध

अविधिपूर्ण परिवर्तन के पीड़ितों का संरक्षण। १६. (१) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किए गए धर्मांतरण के पीड़ित भरण-पोषण और बच्चों की अभिरक्षा के लिये हकदार होंगे।

(२) राज्य सरकार अविधिपूर्ण परिवर्तन के पीड़ितों को जैसा कि विहित किया जाए, ऐसे पूनर्वास सहायता का उपबंध करेगी।

कठिनाईयों का निराकरण। १७. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्भूत, हो राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होनेवाले ऐसे निदेश दे सकेगी जो उसे कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो:

परंतु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्ष की अवधि, अवसित होने के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जाएगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश उसे बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति। १८. (१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब यह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में शामिल हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र

या लगातार सत्रों के तत्पश्चात् वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन नियम में कोई संशोधन करने पर सहमत हों या दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि, नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, निष्प्रभावी होगा, तथापि इसप्रकार, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलिकरण उस नियम के अधीन पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

भारत के संविधान के अधीन प्राप्त धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य तथा संविधान के भाग तीन में नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंधों के अधीन है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में यह स्पष्ट किया है कि, धर्म की स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है और संविधान के अनुच्छेद २५ के अधीन प्रचार का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को जबरन धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है।

२. जबरन, अनैच्छिक या नागरिकों की स्वतंत्र सहमति को प्रभावित करने द्वारा किए जा रहे धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं और विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित रीत्या, किए जा रहे हैं। सामूहिक धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें भोले-भोले लोगों को उपहार, रिश्वत, आसानी से मिलने वाला पैसा या नक़द या वस्तु के रूप में भौतिक लाभ, रोजगार, किसी धार्मिक संस्था द्वारा संचालित विद्यालय या महाविद्यालय में निशुल्क शिक्षा, विवाह का वचन, बेहतर जीवन शैली, ईश्वरीय प्रसन्नता या अन्य किसी प्रकार का प्रलोभन देकर जबरन एक धर्म से दुसरे धर्म में परिवर्तित किया गया है। यह मामले राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था को भंग कर रहे हैं और समाज के सामंजस्य को प्रभावित कर रहे हैं।

समाज में सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण व्यक्ति या परिवार अविधिपूर्ण धर्मांतरण के शिकार हो सकते हैं। समाज के ऐसे कमजोर वर्गों को राज्य से संरक्षण की आवश्यकता है। विद्यमान विधि ऐसे धार्मिक धर्मांतरण से उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

३. महाराष्ट्र राज्य में ऐसे धर्म परिवर्तन को विनियमित करने के लिए कोई विधि नहीं है। एक धर्म से दुसरे धर्म में ऐसे जबरन और गैरकानूनी रूप से धर्म परिवर्तन को प्रतिषेधित करने के लिए विभिन्न राज्यों जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, तमिलनाडु आदि ने पहले ही धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम अधिनियमित किया है।

महाराष्ट्र सरकार ने धार्मिक धर्मांतरण से संबंधित कानूनी मुद्दों का अध्ययन करने के लिए, पुलिस महानिदेशक और सरकार के संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक विशेष समिति का गठन किया है। उक्त समिति ने अन्य राज्यों के विभिन्न समान विधियों पर उचित विचार-विमर्श और चिंतन के पश्चात्, महाराष्ट्र राज्य के लिए 'महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम' लागू करने की सिफारिश की है।

इसलिए, महाराष्ट्र सरकार, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करने और अविधिपूर्ण धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करने के लिए, एक कानून बनाना इष्टकर समझती है।

४. प्रस्तावित विधि की मुख्य विशेषताएँ यथा निम्न है :—

(क) प्रलोभन, गलत बयाणी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती या किसी अन्य धोखाधड़ी के माध्यम आदि से किए गए धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करना;

(ख) धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए उपबंध करना जिसमें सक्षम प्राधिकारी को पूर्व सूचना देकर धर्म परिवर्तन के आशय की घोषणा सम्मिलित है ;

(ग) धर्मांतरित व्यक्ति और धर्म परिवर्तन का आयोजन करनेवाला व्यक्ति और संस्थान द्वारा सक्षम प्राधिकाइरी को धर्म परिवर्तन के पश्चात् की घोषणा के लिए उपबंध करना ;

(घ) प्रस्तावित विधि के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अपराधों और शास्तियों का उपबंध करना ;

(ङ) पुलिस उप-निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा अविधिपूर्ण धर्म परिवर्तन की जाँच करने के लिए, उपबंध करना ;

(च) यह उपबंध करना कि, विधि के अधीन वह अपराध संज्ञेय और गैर-जमानतीय होंगे ;

(छ) अविधिपूर्ण धर्म परिवर्तन के पीडितों का भरण पोषण करने तथा बच्चों की अभिरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा पूनर्वास सहायता के लिए उपबंध करना।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित १२ मार्च, २०२६।

देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधि ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव अंतर्गस्त है, अर्थात्:—

खण्ड १. (२) इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा वह दिनांक जिसपर अधिनियम प्रवर्तन में आएगा, नियत करने की शक्ति दी गई है।

खण्ड ६. (१) इस खण्ड के अधीन, सक्षम प्राधिकारी को धर्मपरिवर्तन के पूर्व दी जानेवाली नोटीस का प्ररूप और रीति नियमों द्वारा विहित करने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है।

खण्ड ७. (१) इस खण्ड के अधीन, धर्मपरिवर्तन के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को घोषणापत्र प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति नियमों द्वारा विहित करने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है।

खण्ड १६. (२) इस खण्ड के अधीन, अविधिपूर्ण धर्मपरिवर्तन के पीडितों के लिए पुनर्वास सहायता को नियमों द्वारा विहित करने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है।

खण्ड १७. (१) इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, किसी कठिणाई जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्भूत हो सके, का निराकरण करने के लिए **राजपत्र** में आदेश जारी करने की शक्ति दी जाती है।

खण्ड १८. (१) इस खण्ड के अधीन, **राजपत्र** में अधिसूचना जारी करने द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के है।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक का खण्ड १६ का उप-खण्ड (२) गैर-विधिपूर्ण धर्म परिवर्तन के पीड़ितों को जैसा कि विहित किया जाए पुनर्वास सहायता के लिए उपबंध करता है।

राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम के रूप में उसकी अधिनियमिति होने पर, इस विधेयक में अविधिपूर्ण धर्म परिवर्तन के पीड़ितों की पुनर्वास सहायता के लिए राज्य की समेकित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्विष्ट हो सकेगा। तथापि, इस स्तर पर, वास्तविक आवर्ती व्यय का प्राक्कलन देना संभव नहीं है जो इस निमित्त उपगत किया जा सके।

(यथार्थ अनुवाद),

श्री. अरुण कमळाबाई वाळू गिते,
प्रभारी भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :

मुंबई,
दिनांकित १३ मार्च, २०२६।

जितेंद्र भोळे,
सचिव-१,
महाराष्ट्र विधानसभा।

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल की अनुशंसा

(महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग, आदेश की प्रत)

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के खंड (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता विधेयक, २०२६ ई. परविचा करने की अनुशंसा करते हैं।

विधान भवन :

मुंबई,

दिनांकित १२ मार्च, २०२६।

जितेंद्र भोळे,

सचिव-१,

महाराष्ट्र विधानसभा।